Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- ## ग्राम पंचायत ईटून्दा के सरपंच अनु सिंह मीणा सरपंच/प्रशासक अपने मध्यस्थ परमेश्वर लाल मीणा के मार्फत 24,000/— रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, 09 जुलाई, बुधवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी भीलवाडा—प्रथम इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी अनु सिंह मीणा हाल सरपंच/प्रशासक, ग्राम पंचायत ईटून्दा द्वारा परिवादी सफाई ठेकेदार द्वारा ग्राम पंचायत ईटून्दा में करवाये गये सफाई कार्य के 3.00 लाख रूपये के पैण्डिग बिलों के भुगतान की एवज में रिश्वत राशि की मांग की गई। परिवादी ने दिनांक 02.06.2025 को ग्राम पंचायत ईटून्दा में जाकर आरोपी सरपंच/प्रशासक अनु सिंह मीणा ने सम्पर्क किया तो उसने परिवादी के सफाई कार्य के मात्र 1.20 लाख रूपये के बिल ही पास करने एवं उसमें से भी 60 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। जिस पर दिनांक 06.06.2025 को परिवादी को आरोपी के पास भेजकर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया तो आरोपी सरपंच/प्रशासक अनु सिंह द्वारा परिवादी से 60 हजार रूपये की मांग की गई तथा कहा कि लेबर को भी मैं ही भुगतान करूंगा तथा जे.टी. ओ. एवं सचिव के लिये पैण्डिग बिलों एवं एम.बी. बुक भरवाने की एवज में क्रमशः 2 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत रिश्वत राशि व शेष राशि स्वंय के लिये मांग की गई। दिनांक 12.06.2025 को परिवादी ने सफाई कार्य में लगी लेबर को 36 हजार रूपये का नकद भुगतान करने के पश्चात दिनांक 24.06.2025 को परिवादी को पुनः सरपंच अनु सिंह के पास जाकर अपने पैण्डिग बिलों के भुगतान के संबंध में रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया तो 24,000/— रूपये रिश्वत की मांग की तथा उक्त रिश्वत राशि में से 2 प्रतिशत जे.टी.ओ. को और 5 प्रतिशत सचिव के लिये भी रिश्वत की मांग की गई। आज दिनांक 09.07.2025 को आरोपी द्वारा की गई रिश्वत राशि मांग के अनुसरण में आरोपी सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत ईटून्दा में ही परिवादी से **24,000/— रूपये** की रिश्वत राशि अपने मध्यस्थ परिचित व्यक्ति परमेश्वर लाल मीणा के मार्फत ग्रहण की गई। उक्त रिश्वत राशि आरोपी परमेश्वर लाल मीणा द्वारा अपने हाथों से ग्रहण कर गिनना पाया गया। आरोपियो को रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** ने बताया कि एसीबी चौकी भीलवाड़ा—प्रथम को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी द्वारा ग्राम पंचायत ईटून्दा में करवाये गये सफाई कार्य के पैण्डिग बिलों के भुगतान करने की एवज में 24,000/— रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी रेंज अजमेर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत** के सुपरविजन में एसीबी चौकी भीलवाड़ा—प्रथम के **उप अधीक्षक पुलिस श्री पारसमल** के नेतृत्व में मय टीम के कार्यवाही करते हुए आरोपी अनु सिंह मीणा हाल सरपंच/प्रशासक, ग्राम पंचायत ईटून्दा द्वारा अपने परिचित मध्यस्थ परमेश्वर लाल मीणा को 24,000/— **रूपये** रिश्वत राशि दिलवाई गई जिसको बरामद किया गया।

आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। ए.सी.बी. द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।